सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 02, मगंलवार, शाके 1943-नवम्बर 23, 2021

Agrahayana 02, Tuesday , Saka 1943- November 23, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 09, 2021

संख्या एफ 3(21)/इगानवि/विशा/2018 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कोलायत लिफ्ट नहर के **कोलासर माईनर** में फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने हेतु डिग्गी अवाप्ति हेतु 3 चकों में 7 डिग्गीयों के निर्माण में प्रभावित काश्तकारों की भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नांकित वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के उन सब हितधारियों के निमित जिनका इससे संबंध हो की जाती है

प्रकरण में अधिनियम की धारा 11-12 के तहत विज्ञप्ति क्रमांक एफ 3 (21) इगानवि/भूअ/ 2018 दिनांक 19.03.2020 को जारी की गई थी। पूर्व में बजट की अनुपलब्धता एवं कोरोना महामारी के कारण कार्यवाही में विलम्ब हुआ, जिसे ध्यान में रखते हुये अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत धारा 11-12 की विज्ञप्ति में वैधता अवधि दिनांक 19.03.2021 से 1 वर्ष अर्थात 18.03.2022 तक बढाई गई है।

तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को कथित भूमि को अवाप्ति के निमित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जाता है भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर तथा अधिशाषी अभियंता कोलायत लिफट खण्ड इगानप बीकानेर जिला बीकानेर (राज.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न - सूची

आज्ञा से,

देशराज मीणा,

उपशासन सचिव,

इंदिरा गांधी नहर विभाग जयपुर।

विवरण सूची

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 के प्ररस्ताव

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 की कार्यवाही हेतु कोलायत लिफट नहर की कोलासर माईनर के कुल 3 चकों में 7 डिग्गीयों के निर्माण में प्रभावित काश्तकारों की भूमि का विवरणः-

क्र0सं0	नाम ग्राम/चक	भूमि धारको का नाम	खसरा नम्बर/मरम्बा नं0	भूमि का कुल रकबा बीघा बिस्वा	अवाप्त की जो वाली भूमि का रकबा बीघा बिस्वा	किस्म भूमि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गिरान्धी 1-2 के.एस.एम डिग्गी ए, बी व सी	मघाराम कमला, मन्नू शम्भू पुत्र पुत्री दानाराम ब.हि.ब कौम जागिड ब्राहमण सा.देह गैर खातेदार	241/1	92.00		बरानी	
		देवकी देवी पत्नीं जोराराम, राणाराम स्वरूपराम गंगाधापु पुत्र पुत्रियां जोराराम ब.हि.ब कौम सुथार जागिड ब्राहमण सा.देह गैर खातेदार	241/2	113.11	12.00	बारानी	
		सुगनी पुत्री अर्जनराम कौम जागिड ब्राहमण सादेह गैर खांतेदार	241/3	169.11		बारानी	
2	कोलासर	आराजीराज	319/2	365.13	8.00	बारानी	

	पश्चिम 5 के.एस.एम डिग्गी ए व बी					दोयमा	
3	6 के.एस.एम डिग्गी ए व बी	जगूराम पि.मु.परतूराम कौम मेघवाल सा.गिरांजसर (पंच पीठ की ढाणी)खातेदार 15एएए (2के)जगूराम का रकबा रहन शाखा एस.बी.बी. जे. गिराजसर	577	48.14	8.00	बारानी अव्वल	
				कुल योग	28.00		

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।